"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 244] रायपुर, बुधवार, दिनांक 8 सितम्बर 2010—भाद्र 17, शक 1932

श्रम विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 7 सितम्बर 2010

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1-59/2007/16.—प्रदेश में बाल श्रमिकों के नियोजन को समाप्त करने तथा प्रदेश में घातक कारखानों/प्रक्रियाओं में लगे बाल श्रमिकों को अन्य लाभकारी योजनाओं में लगाने के प्रयोजन से राज्य शासन द्वारा राज्य समीक्षा प्राधिकार समिति का निम्नानुसार गठन किया जाता है :—

1.	मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़	अध्यक्ष
2.	सचिव, श्रम विभाग	सदस्य
3.	सचिव, महिला बाल विकास एवं समाज कल्याण विभाग	सदस्य
4.	सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग	सदस्य
5.	सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	सदस्य
6.	कल्याण आयुक्त, केन्द्रीय जबलपुर	सदस्य
7.	तीन स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि	सदस्य

1. श्री मोहन चोपड़ा अध्यक्ष
छत्तीसगढ़ राज्य बाल कल्याण परिषद्

2. श्री कृष्ण प्रसाद सिन्हा, अध्यक्ष
जागृति सेवा संस्थान उरला अभनपुर
जिला रायपुर.

श्रम विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 28 अगस्त 2010

क्रमांक एफ 1-31/2010/16.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री राजेश श्रीवास्तव, सहायक महाप्रबंधक, सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ मर्यादित रायपुर (छ.ग.) को श्रम विभाग के अधीनस्थ श्रमायुक्त कार्यालय में उप श्रमायुक्त के पद पर कार्य भार ग्रहण करने के दिनांक से 2 वर्ष की अवधि के लिये प्रतिनियुक्ति पर तत्काल प्रभाव से पदस्थ करता है.

2. श्री राजेश श्रीवास्तव की प्रतिनियुक्ति अवधि में इनका वेतन अपर श्रमायुक्त के रिक्त पद के विरुद्ध आहरित किया जायेगा.

3. प्रतिनियुक्ति की सेवा शर्तों का प्रकाशन पृथक से किया जायेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. डी. कुंजाम, उप-सचिव.

समाज कल्याण विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 26 मार्च 2011

क्रमांक एफ 1-11/2011/सक/26.—किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 यथा संशोधित 2006 की धारा 4 की उपधारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा, अनुसूची के कॉलम 02 से 03 में दर्शाये अनुसार क्षेत्र हेतु कॉलम 04 में निम्नानुसार प्रथम श्रेणी न्यायिक दण्डाधिकारियों को किशोर न्याय बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में अधिसूचित करती है :—

अनुसूची

अ. क्र. (1)	जिले का नाम (2)	क्षेत्र (3)	बोर्ड के अध्यक्ष (4)
1.	रायपुर	रायपुर	श्रीमती गरिमा आर्य, प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट, रायपुर
2.	राजनांदगांव	राजनांदगांव	श्री शैलेष अच्युत पटवर्धन, प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट, राजनांदगांव.

No. F 1-11/2011/SW/26.—In exercise of the powers conferred by the sub-sections (1) and (2) of the section 4 of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act 2000 as amended 2006 the State Government hereby notify following First Class Judicial Magistrates as the Chairman of the Juvenile Justice Board in the column 4 for the area shown in the column No. 2 to 3 of the said Schedule :—

SCHEDULE

S. No. (1)	Name of the District (2)	Area (3)	Name of the Chairman of the Board (4)
1.	Raipur	Raipur	Smt. Garima Arya, First Class Judicial Magistrate, Raipur.
2.	Rajnandgaon	Rajnandgaon	Shri Shailesh Achyut Patwardhan, First Class Judicial Magistrate, Rajnandgaon.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. डी. पी. राव, सचिव.

3.	सुश्री यादव, अध्यक्ष सहायता महिला मण्डल, आनंद नगर रायपुर.	
8.	यूनिसेफ, छत्तीसगढ़ के प्रमुख	सदस्य
9.	उपश्रमायुक्त	सदस्य सचिव/संयोजक

2. उक्त समिति के सदस्यों का कार्यकाल अधिसूचना के छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से एक वर्ष का रहेगा, परन्तु राज्य शासन किसी भी सदस्य का कार्यकाल अधिकतम दो वर्ष के लिये बढ़ा सकेगा, परन्तु यह भी कि समिति के सदस्य, समिति का कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी, तब तक निरन्तरित रहेंगे, जब तक कि उनके उत्तराधिकारी सदस्यों की नियुक्ति शासन द्वारा नहीं कर दी जाती.

3. उक्त समिति के किसी भी सदस्य को राज्य शासन अवधि पूरी होने के पूर्व भी स्वविवेक से बिना किसी कारण बताओ सूचना पत्र के कभी भी समिति से पृथक कर सकेगा. कोई भी सदस्य लगातार दो या अधिक बैठक में अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता स्वयंमेव समाप्त मानी जावेगी.

4. समिति स्वविवेक के अनुसार अपनी कार्यप्रणाली इस तरह निर्धारित करेगी, जिससे बाल श्रमिक (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम 1986 का प्रवर्तन और बाल श्रमिक उन्मूलन परियोजना पर पर्यवेक्षण औचित्यपूर्ण, पर्याप्त एवं प्रभावी तरीके से हो सके.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. डी. कुंजाम, उप-सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2010.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला दुर्ग (छत्तीसगढ़)

दुर्ग, दिनांक 31 अक्टूबर 2012

क्रमांक/सतर्कता समिति/बंधक श्रम/2012.—बंधक श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम 1976 की धारा 13 की उपधारा 2 के अनुसार राजस्व जिला दुर्ग के लिए निम्नानुसार जिला स्तरीय सतर्कता समिति का गठन किया जाता है :—

क्र. (1)	नाम/पदनाम (2)	समिति के पद (3)
1.	जिला दण्डाधिकारी, दुर्ग	अध्यक्ष
2.	**जिले में निवासरत अ.जा./अ.ज.जा. से संबंधित सदस्य**	
	1. श्री डोमन लाल कोर्सेवाडा माननीय विधायक विधान सभा क्षेत्र अहिवारा	सदस्य
	2. सुश्री रेखा कुर्रे सदस्य जिला पंचायत दुर्ग	सदस्य
	3. डॉ. देवनारायण तांडी सभापति नगर पालिक निगम दुर्ग	सदस्य
3.	**जिले में निवासरत सामाजिक कार्यकर्ता**	
	1. श्री प्रशांत गुप्ता अध्यक्ष रोटरी क्लब भिलाई (ग्रेटर हाउसिंग बोर्ड)	सदस्य
	2. श्री वीरेन्द्र नागवंशी अध्यक्ष जन सेवक समिति भिलाई 03	सदस्य
4.	**जिले में ग्रामीण विकास से जुड़े शासकीय या अशासकीय अभिकरणों के प्रतिनिधि**	
	1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत दुर्ग (पदेन)	सदस्य
	2. उप संचालक पंचायत दुर्ग (पदेन)	सदस्य
	3. श्री अजय बघेल सदस्य जिला पंचायत दुर्ग	सदस्य
5.	**जिले में वित्तीय और ऋण संस्थाओं का एक प्रतिनिधि**	
	1. लीड बैंक अधिकारी जिला दुर्ग (पदेन)	सदस्य

2. उक्त समिति अधिनियम की धारा 14 एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा याचिका क्रमांक (सिविल) 3922/1985, पब्लिक यूनियन फार सिविल लिबर्टीस विरुद्ध तमिलनाडू राज्य एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 15-10 2012 के परिपेक्ष्य में निम्नानुसार कार्य करेगी :—

I. अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार बंधक श्रमिकों के सर्वेक्षण का कार्य प्रत्येक 03 वर्ष में एक बार कराया जाकर सर्वेक्षण के परिणाम का डाटाबेस एवं पुनरीक्षित प्रतिवेदन वेबसाईट में उपलब्ध कराते हुए प्रतिवेदन राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को प्रेषित किया जावेगा.

II. ईट भट्ठों, पत्थर खदान, पत्थर तोड़ने की खान, बीड़ी निर्माण, कारपेट बनाना, निर्माण उद्योग, कृषि, ग्रामीण एवं शहरी असंगठित एवं अनौपचारिक सेक्टर, पावरलुम, काटन हैण्डलुम आदि क्षेत्रों में बंधक श्रमिकों की व्याप्तता के दृष्टिगत समिति सर्वेक्षण के दौरान इन क्षेत्रों में विशेष ध्यान देगी और अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन की दशा में त्वरित कार्यवाही करेंगी.

III. यह सुनिश्चित करने के लिए इस अधिनियम के या इसके अधीन बनाये गये किसी नियम के उपबंधों का समुचित रूप से क्रियान्वयन, किये गये प्रयत्न और की गई कार्यवाही के बारे में जिला दण्डाधिकारी/अनुविभागीय दण्डाधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी को सलाह देगी.

IV. मुक्त किये गये बंधक श्रमिकों के आर्थिक और सामाजिक पुनर्वास के लिए व्यवस्था करेगी.

V. मुक्त किये गये बंधक श्रमिकों के लिए पर्याप्त प्रत्यय की व्यवस्था करने के उद्देश्य से ग्रामीण बैंकों और सहकारी सोसायटी के कृत्यों का समन्वय करेगी.

VI. उन अपराधों की संख्या पर नजर रखेगी जिनका संज्ञान इस अधिनियम के अधीन किया गया है.

VII. यह सर्वेक्षण करेगी कि क्या कोई ऐसा अपराध किया गया है जिसका संज्ञान इस अधिनियम के अधीन किया जाना चाहिए था.

VIII. मुक्त किये गये बंधक श्रमिक के या उसके कुटुम्ब के सदस्य के या उस पर आश्रित व्यक्ति के विरुद्ध संस्थित किसी ऐसे वाद की प्रतिरक्षा करना जो किसी बंधित ऋण या किसी ऐसे अन्य ऋण के संपूर्ण या उसके किसी भाग की वसूली के लिए हो जिसका दावा बंधित ऋण के रूप में ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाता है.

IX. सतर्कता समिति अपने सदस्यों में से किसी एक सदस्य को इस बात के लिए प्राधिकृत कर सकेगी कि वह मुक्त किए गए बंधित श्रमिक के विरुद्ध वाद की प्रतिरक्षा करे और इस प्रकार प्राधिकृत सदस्य मुक्त किये गये बंधित श्रमिक का, ऐसे वाद के प्रयोजन के लिए प्राधिकृत अभिकर्ता समझा जाएगा.

3. बंधक श्रम पद्धति (उत्सादन) नियम 1976 के नियम 3 (1) के अनुसार अधिनियम के धारा 13 की उपधारा 3 के खण्ड ख, ग, घ एवं ङ अंतर्गत नामांकित प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल अधिसूचना के छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से 2 वर्ष का रहेगा और उक्त अवधि के समाप्ति के पश्चात् उत्तराधिकारी के नामित होने तक पद पर बने रहेंगे.

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 15-10-2012 के अनुसार समिति का पुनर्गठन प्रत्येक 3 वर्ष में किया जावेगा.

4. बंधक श्रम पद्धति (उत्सादन) नियम 1976 के नियम 7 के अनुसार अधिनियम एवं नियमों के प्रावधानों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने हेतु निम्नानुसार अभिलेख संधारित किया जायेगा.

I. विमुक्त बंधक श्रमिकों के नाम एवं पता संबंधित पंजी,

II. विमुक्त बंधक श्रमिकों के पेशा, व्यवसाय एवं आय से संबंधित सांख्यिकीय आंकड़े से संबंधित पंजी.

III. विमुक्त बंधक श्रमिकों को प्रदाय की जाने वाली सुविधाओं से संबंधित पंजी, जिसमें आर्थिक सहायता, कृषि के लिए उपकरण प्रदाय, हस्तशिल्प या सहायक व्यवसाय के लिए प्रशिक्षण, ऋण प्रदाय की जानकारी तथा ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में रोजगार प्रदाय संबंधी जानकारी सम्मिलित है,

IV. अधिनियम की धारा 6 की धारा (6) धारा 8 की उपधारा (2), धारा 9 की उपधारा (2), धारा 16, धारा 17, धारा 18, धारा 19, धारा 20 के अंतर्गत प्रकरणों का विस्तृत विवरण दर्शाने वाली पंजी.

5. प्रत्येक सतर्कता समिति अधिनियम के अंतर्गत अपने दायित्वों एवं कर्तव्यों के निर्वहन हेतु अपनी प्रक्रिया स्वयं विनियमित करेगी.

दुर्ग, दिनांक 31 अक्टूबर 2012

क्रमांक/सतर्कता समिति/बंधक श्रम/2012.—बंधक श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम 1976 की धारा 13 की उपधारा 3 के अनुसार राजस्व अनुविभाग दुर्ग जिला दुर्ग के लिए निम्नानुसार अनुविभाग स्तरीय सतर्कता समिति का गठन किया जाता है :—

क्र. (1)	नाम/पदनाम (2)	समिति के पद (3)
1.	अनुविभागीय दण्डाधिकारी, दुर्ग	अध्यक्ष

(1)	(2)	(3)
2.	**अनुविभाग में निवासरत अ.जा./अ.ज.जा. से संबंधित सदस्य**	
	1. श्री चंद्रशेखर बंजारे अध्यक्ष जनपद पंचायत दुर्ग	सदस्य
	2. श्रीमति तुलसी ठाकुर सदस्य जनपद पंचायत दुर्ग	सदस्य
	3. श्री प्रेम सागर चतुर्वेदी सदस्य जनपद पंचायत धमधा	सदस्य
3.	**अनुविभाग में निवासरत सामाजिक कार्यकर्ता**	
	1. डॉ. छत्रसाल गायकवाड़ कसारीडीह दुर्ग	सदस्य
	2. श्री गिरधर मढरिया बोरसी दुर्ग	सदस्य
4.	**अनुविभाग में ग्रामीण विकास से जुड़े शासकीय या अशासकीय अभिकरणों के प्रतिनिधि**	
	1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत दुर्ग (पदेन)	सदस्य
	2. पंचायत एवं समाज सेवा संगठक दुर्ग (पदेन)	सदस्य
	3. विकास विस्तार अधिकारी जनपद पंचायत दुर्ग (पदेन)	सदस्य
5.	**अनुविभाग में स्थित वित्तीय और ऋण संस्थाओं का प्रतिनिधि**	
	1. शाखा प्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक दुर्ग (पदेन)	सदस्य
6.	**अधिनियम की धारा 10 के अधीन विनिर्दिष्ट एवं अनुविभाग में कार्यरत अधिकारी**	
	1. तहसीलदार तहसील दुर्ग	सदस्य/सचिव

2. उक्त समिति अधिनियम की धारा 14 एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा याचिका क्रमांक (।सिविल) 3922/1985, पब्लिक यूनियन फार सिविल लिबर्टीस विरुद्ध तमिलनाडू राज्य एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 15-10-2012 के परिपेक्ष्य में निम्नानुसार कार्य करेगी :—

I. अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार बंधक श्रमिकों के सर्वेक्षण का कार्य प्रत्येक 03 वर्ष में एक बार कराया जाकर सर्वेक्षण के परिणाम का डाटाबेस एवं पुनरीक्षित प्रतिवेदन वेबसाईट में उपलब्ध कराते हुए प्रतिवेदन राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को प्रेषित किया जावेगा.

II. ईट भट्ठों, पत्थर खदान, पत्थर तोड़ने की खान, बीड़ी निर्माण, कारपेट बनाना, निर्माण उद्योग, कृषि, ग्रामीण एवं शहरी असंगठित एवं अनौपचारिक सेक्टर, पावरलुम, काटन हैण्डलुम आदि क्षेत्रों में बंधक श्रमिकों की व्याप्तता के दृष्टिगत समिति सर्वेक्षण के दौरान इन क्षेत्रों में विशेष ध्यान देगी और अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन की दशा में त्वरित कार्यवाही करेंगी.

III. यह सुनिश्चित करने के लिए इस अधिनियम के या इसके अधीन बनाये गये किसी नियम के उपबंधों का समुचित रूप से क्रियान्वयन, किये गये प्रयत्न और की गई कार्यवाही के बारे में जिला दण्डाधिकारी/अनुविभागीय दण्डाधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी को सलाह देगी.

IV. मुक्त किये गये बंधक श्रमिकों के आर्थिक और सामाजिक पुनर्वास के लिए व्यवस्था करेगी.

V. मुक्त किये गये बंधक श्रमिकों के लिए पर्याप्त प्रत्यय की व्यवस्था करने के उद्देश्य से ग्रामीण बैंकों और सहकारी सोसायटी के कृत्यों का समन्वय करेगी.

VI. उन अपराधों की संख्या पर नजर रखेगी जिनका संज्ञान इस अधिनियम के अधीन किया गया है.

VII. यह सर्वेक्षण करेगी कि क्या कोई ऐसा अपराध किया गया है जिसका संज्ञान इस अधिनियम के अधीन किया जाना चाहिए था.

VIII. मुक्त किये गये बंधक श्रमिक के या उसके कुटुम्ब के सदस्य के या उस पर आश्रित व्यक्ति के विरुद्ध संस्थित किसी ऐसे वाद की प्रतिरक्षा करना जो किसी बंधित ऋण या किसी ऐसे अन्य ऋण के संपूर्ण या उसके किसी भाग की वसूली के लिए हो जिसका दावा बंधित ऋण के रूप में ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाता है.

IX. सतर्कता समिति अपने सदस्यों में से किसी एक सदस्य को इस बात के लिए प्राधिकृत कर सकेगी कि वह मुक्त किए गए बंधित श्रमिक के विरुद्ध वाद की प्रतिरक्षा करे और इस प्रकार प्राधिकृत सदस्य मुक्त किये गये बंधित श्रमिक का, ऐसे वाद के प्रयोजन के लिए प्राधिकृत अभिकर्ता समझा जाएगा.

3. बंधक श्रम पद्धति (उत्सादन) नियम 1976 के नियम 3 (1) के अनुसार अधिनियम के धारा 13 की उपधारा 3 के खण्ड ख, ग, घ एवं ङ अंतर्गत नामांकित प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल अधिसूचना के छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से 2 वर्ष का रहेगा और उक्त अवधि के समाप्ति के पश्चात् उत्तराधिकारी के नामित होने तक पद पर बने रहेंगे.

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 15-10-2012 के अनुसार समिति का पुनर्गठन प्रत्येक 3 वर्ष में किया जावेगा.

4. प्रत्येक सतर्कता समिति अधिनियम के अंतर्गत अपने दायित्वों एवं कर्तव्यों के निर्वहन हेतु अपनी प्रक्रिया स्वयं विनियमित करेगी.

दुर्ग, दिनांक 31 अक्टूबर 2012

क्रमांक/सतर्कता समिति/बंधक श्रम/2012.—बंधक श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम 1976 की धारा 13 की उपधारा 3 के अनुसार राजस्व अनुविभाग पाटन जिला दुर्ग के लिए निम्नानुसार अनुविभाग स्तरीय सतर्कता समिति का गठन किया जाता है :—

क्र. (1)	नाम/पदनाम (2)	समिति के पद (3)
1.	अनुविभागीय दण्डाधिकारी, पाटन	अध्यक्ष
2.	**अनुविभाग में निवासरत अ.जा./अ.ज.जा. से संबंधित सदस्य**	
	1. श्री खेमलाल देशलहरे उपाध्यक्ष जनपद पंचायत पाटन	सदस्य
	2. श्री देव चरण कौशल सदस्य जनपद पंचायत पाटन	सदस्य
	3. श्री गोपाल ठाकुर सदस्य जनपद पंचायत पाटन	सदस्य
3.	**अनुविभाग में निवासरत सामाजिक कार्यकर्ता**	
	1. श्री लालेश्वर साहू ग्राम बटरेल पाटन	सदस्य
	2. श्री कोसूराम निर्मलकर ग्राम मटंग पाटन	सदस्य
4.	**अनुविभाग में ग्रामीण विकास से जुड़े शासकीय या अशासकीय अभिकरणों के प्रतिनिधि**	
	1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत पाटन (पदेन)	सदस्य
	2. पंचायत एवं समाज सेवा संगठक पाटन (पदेन)	सदस्य
	3. विकास विस्तार अधिकारी जनपद पंचायत पाटन (पदेन)	सदस्य
5.	**अनुविभाग में स्थित वित्तीय और ऋण संस्थाओं का प्रतिनिधि**	
	1. शाखा प्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक पाटन (पदेन)	सदस्य
6.	**अधिनियम की धारा 10 के अधीन विनिर्दिष्ट एवं अनुविभाग में कार्यरत अधिकारी**	
	1. तहसीलदार, तहसील पाटन	सदस्य/सचिव

2. उक्त समिति अधिनियम की धारा 14 एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा याचिका क्रमांक (सिविल) 3922/1985, पब्लिक यूनियन फार सिविल लिबर्टीस विरुद्ध तमिलनाडू एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 15-10-2012 के परिपेक्ष्य में निम्नानुसार कार्य करेगी :—

I. अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार बंधक श्रमिकों के सर्वेक्षण का कार्य प्रत्येक 03 वर्ष में एक बार कराया जाकर सर्वेक्षण के परिणाम का डाटाबेस एवं पुनरीक्षित प्रतिवेदन वेबसाईट में उपलब्ध कराते हुए प्रतिवेदन राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को प्रेषित किया जावेगा.

II. ईट भट्ठों, पत्थर खदान, पत्थर तोड़ने की खान, बीड़ी निर्माण, कारपेट बनाना, निर्माण उद्योग, कृषि, ग्रामीण एवं शहरी असंगठित एवं अनौपचारिक सेक्टर, पावरलुम, काटन हैण्डलुम आदि क्षेत्रों में बंधक श्रमिकों की व्याप्तता के दृष्टिगत समिति सर्वेक्षण के दौरान इन क्षेत्रों में विशेष ध्यान देगी और अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन की दशा में त्वरित कार्यवाही करेंगी.

III. यह सुनिश्चित करने के लिए इस अधिनियम के या इसके अधीन बनाये गये किसी नियम के उपबंधों का समुचित रूप से क्रियान्वयन, किये गये प्रयत्न और की गई कार्यवाही के बारे में जिला दण्डाधिकारी/अनुविभागीय दण्डाधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी को सलाह देगी.

IV. मुक्त किये गये बंधक श्रमिकों के आर्थिक और सामाजिक पुनर्वास के लिए व्यवस्था करेगी.

V. मुक्त किये गये बंधक श्रमिकों के लिए पर्याप्त प्रत्यय की व्यवस्था करने के उद्देश्य से ग्रामीण बैंकों और सहकारी सोसायटी के कृत्यों का समन्वय करेगी.

VI. उन अपराधों की संख्या पर नजर रखेगी जिनका संज्ञान इस अधिनियम के अधीन किया गया है.

VII. यह सर्वेक्षण करेगी कि क्या कोई ऐसा अपराध किया गया है जिसका संज्ञान इस अधिनियम के अधीन किया जाना चाहिए था.

VIII. मुक्त किये गये बंधक श्रमिक के या उसके कुटुम्ब के सदस्य के या उस पर आश्रित व्यक्ति के विरुद्ध संस्थित किसी ऐसे वाद की प्रतिरक्षा करना जो किसी बंधित ऋण या किसी ऐसे अन्य ऋण के संपूर्ण या उसके किसी भाग की वसूली के लिए हो जिसका दावा बंधित ऋण के रूप में ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाता है.

IX. सतर्कता समिति अपने सदस्यों में से किसी एक सदस्य को इस बात के लिए प्राधिकृत कर सकेगी कि वह मुक्त किए गए बंधित श्रमिक के विरुद्ध वाद की प्रतिरक्षा करे और इस प्रकार प्राधिकृत सदस्य मुक्त किये गये बंधित श्रमिक का, ऐसे वाद के प्रयोजन के लिए प्राधिकृत अभिकर्ता समझा जाएगा.

3. बंधक श्रम पद्धति (उत्सादन) नियम 1976 के नियम 3 (1) के अनुसार अधिनियम के धारा 13 की उपधारा 3 के खण्ड ख, ग, घ एवं ङ अंतर्गत नामांकित प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल अधिसूचना के छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से 2 वर्ष का रहेगा और उक्त अवधि के समाप्ति के पश्चात् उत्तराधिकारी के नामित होने तक पद पर बने रहेंगे.

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 15-10-2012 के अनुसार समिति का पुनर्गठन प्रत्येक 3 वर्ष में किया जावेगा.

4. प्रत्येक सतर्कता समिति अधिनियम के अंतर्गत अपने दायित्वों एवं कर्तव्यों के निर्वहन हेतु अपनी प्रक्रिया स्वयं विनियमित करेगी.

ब्रजेश चन्द्र मिश्र,
कलेक्टर.